

7/4/26 माननीय न्यायालय RAA के नुमागद के निर्णय उपरांत  
अधिवक्ता अर्जर्ची ले. 1, 2 की ओर  
से प्राप् पत्र पेश करते पर पत्रावली आज  
पेशी में ली गई। चूंकि मूल वाद अनवानी देवीका  
बनाम कृष्ण कुमार दिनांक 18/3/26 को  
खारिज हो चुका है अतः प्राप् पत्र धारा 212 RAA  
अनवानी देवीका पर कृष्ण कुमार खारिज किया  
जाता है पत्रावली फेसला शुमार नं. ले कम की  
जाकर मूल वाद के संलग्न दायिमल दफ्तर हो।

+